दिनांकः 26.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 24.05.2024 को वादी आर्यन पुत्र संदीप निवासी बलियाखेडी, श्रीराम कॉलोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर ने थाना सदर बाजार पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण **उदय पुत्र संजील निवासी दकदेवी थाना नकुड जनपद सहारनपुर, अर्जुन पुत्र विजय कुमार निवासी चन्द्रविहार कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व 01 अन्य अज्ञात** द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए फायर कर देने के संबंध मे थाना सदर बाजार पर **मु0अ0सं0 294/2024 धारा 34/120बी/307/506 भादवि** पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 26.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त **अर्जुन पुत्र विजय कुमार निवासी चन्द्रविहार कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को चन्द्रविहार कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त ने बताया कि मेरे दोस्त उदय व आर्यन की आपस मे पहले से ही किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी। दिनांक 22.05.2024 की रात को मै और उदय दोनो थार गाडी लेकर श्री राम कालोनी में आर्यन के घर के बाहर पहुचे तो हमने एक राय होकर आर्यन पर जान से मारने की नियत से फायर करके मौके से फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अर्जुन पुत्र विजय कुमार निवासी चन्द्रविहार कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।
2. है0का0 224 रोबिन सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 26.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थ / शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 26.05.2024 को चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त **सुशील पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर अहाडी थाना चिलकाना सहारनपुर** को ग्राम फिरोजाबाद रोड अब्दुल्लापुर अहाडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना चिलकाना पर **मु0अ0स0 122/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त सुशील उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि नशे का आदि हूं, तथा अन्य प्रान्त से सस्ते दाम में शराब खरीदकर यहां आस पास के क्षेत्रों में महंगे दाम में बेच देता हूं। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मै यह शराब बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

सुशील पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर अहाडी थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी-

12 बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 190 मदनजीत थाना चिलकाना सहारनपुर।